न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 987 सन 2024

अनवान :–

1. भंवरसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उछव कंवर पुत्री रतनसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. प्रेम पुत्री रतनसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. शारदा कवंर पुत्री रतनसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07/11/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की 5.00 बीधा भूमि वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की 5.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 144 के हाल खसरा न0 144/1527 की 5.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

रतनसिह पुत्र धोकलसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है जिसके वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रतनसिह पुत्र धोकलसिह के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह जाति राजपूत को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 318 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 144 की कुल 5.00 बीधा अर्थात 1.265हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी रतनसिह पुत्र धोकलसिह उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता रतनसिह पुत्र [illegible] भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकल[illegible]नुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रतनसिह पुत्र [illegible] होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है [illegible] वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की ग[illegible] को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:55:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की 1.265हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की 1.265हैक भूमि जो वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की 5.00 बीधा भूमि वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की 5.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 144 के हाल खसरा न0 144/1527 की 5.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

रतनसिह पुत्र धोकलसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है जिसके वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रतनसिह पुत्र धोकलसिह के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह जाति राजपूत को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 318 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 144 की कुल 5.00 बीधा अर्थात 1.265हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के कब्जा काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:55:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रही है वाद फोतदगी रतनसिह पुत्र धोकलसिह उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की 1.265हैक् भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की 1.265हैक् भूमि जो वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की कुल 5.00 बीधा भूमि रतनसिह पुत्र धोकलसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि रतनसिह पुत्र धोकलसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 4 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रतनसिह पुत्र धोकलसिह के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि रतनसिह पुत्र धोकलसिह को दिनांक 18.07.1968 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह के कब्जा काश्त में थी एवं वादीगण के पिता आवटी रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 जो बहुत बडा खसरा था के हाल अन्य खसरों के साथ साबिका खसरा न0 144 के हाल खसरा न0 144/1527 की 5.00 बीधा परिवर्तित एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवर्तित है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:55:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 144/1527 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 144/1527 की भूमि वादीगण के पिता रतनसिह को दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

(कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह जाति राजपूत साकिन कानसर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 हाल खसरा न0 144/1527 की 1.2650हैक्ट भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि रतनसिह पुत्र धोकलसिह के देहान्त होने पर उसके वारिस वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादीगण के पिता रतनसिह पुत्र धोकलसिह को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पूर्वज/पिता रतनसिह को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 144 की 1.2650हैक्ट भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र मे आ चुकी है जो पूर्व में वादी के पूर्वज/पिता एव वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत दस्तावेजात/मौका रिपोर्ट पटवारी से पूर्णत्या साबित/प्रमाणित होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों अधिसुचनाओं के अधीन वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा कर जमाबन्दी संशोधन करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:55:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भंवरसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उछव कंवर पुत्री रतनसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. प्रेम पुत्री रतनसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. शारदा कवंर पुत्री रतनसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 987 सन 2024 निर्णय दिनांक – 07/11/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 905/890 के खसरा न0 144/1527 की कुल 1.2650हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.11 17:55:15 IST
Reason: SelfAttested